रमन नदी पुनर्जीवन मॉडल

छोटी नदियों का वर्तमान परिदृष्य व सुधार की आवश्यकता

भारत में छोटी व बरसाती नदियों का अस्तित्व लगभग समाप्ती की ओर है। नई पीढ़ी तो पुरातन की छोटी नदियों को आज घरेलु व उधोगों के बहाव का साधन मानने लगी है। एक ओर जहां वर्षभर पानी लेकर बहने वाली नदियों में पानी कम हो रहा है वहीं बरसाती नदियां भूजल स्तर नीचे खिसकने के कारण से सूख चुकी हैं। इन सूखी नदियों को गांवों, कस्बों, शहरों व उधोगों ने अपना तरल व ठोस कचरा बहाने का माध्यम बना लिया है। ऐसी स्थिति में नदियों के लिए जहां अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है वहीं उनकी पहचान भी बदल चुकी है। समाज के बड़े तबके में लगभग इस बात ने पैठ बना ली है कि बरसाती नदियां अब पुनर्जीवत नहीं हो सकती हैं।

हमने छोटी व बरसाती नदियों को लेकर समाज में बनी निराशा को आशा में बदलने का वर्ष 2005 में ही कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इस निश्चय के आधार पर हमने गंगा–यमुना दोआब की पूर्वी काली नदी पर कार्य करना प्रारम्भ किया। काली नदी पर किए गए प्रयासों के नतीजों ने हमें उर्जा, उमंग व हौंसला दिया है कि भारत की बरसाती नदियां पुनर्जीवित हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए व्यवस्थित प्रयास करने होंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में भी नदी पुनर्जीवन के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। वर्षों के अपने अनुभवों के आधार पर नदियों के लिए किए गए कार्यों व चिन्तन तथा विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही नदी पुनर्जीवन का व्यवस्थित मॉडल तैयार किया गया है। इसके आधार पर ही नदी पुनर्जीवन का कार्य आगे बढ़ रहा है। इस मॉडल को आधार बनाते हुए जहां हम हिण्डन, काली पश्चिमी, नीम, करवन व कृष्णा जैसी नदियों के पुनर्जीवन का कार्य कर रहे हैं वहीं देश के विभिन्न राज्यों के नदी प्रेमी अपनी नदियों के पुनर्जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस मॉडल को रमन नदी पुनर्जीवन मॉडल नाम दिया गया है।

पूर्वी काली नदी विरासत

खतौली, मुजफ्फरनगर

बुलन्दशहर घाट, बुलन्दशहर

रमन नदी पुनर्जीवन मॉडल

यह एक बहुत सरल मॉडल है। इसमें सुझाए गए उपायों से कुछ के नतीजे तुरन्त दिखने लगते हैं तथा कुछ के नतीजे दीर्घकालिक होते हैं। इस मॉडल को अपनाकर पांच से दस वर्षों में कोई भी छोटी व बरसाती नदी पुनः अपने अस्तित्व में लौट सकती है। इस मॉडल से नदी पुनर्जीवन के साथ–साथ नदी किनारे बसे समाज के बीच भी खुशहाली आएगी। इस मॉडल को लागू करने के लिए जहां नदी महत्वपूर्ण हिस्सा है वहीं उसके दोनों किनारों से एक–एक किलोमीटर की दूरी की गतिविधियां भी अत्यंत प्रभावकारी होती हैं। इस मॉडल में सुझाए गए कार्य समाज व सरकार के सामुहिक प्रयास व सहयोग से ही सफल हो सकते हैं।

रमन नदी पुनर्जीवन मॉडल के दस बिन्दु

- नदी का सम्पूर्ण ज्ञान
- नदी भूमि का चिन्हांकन
- नदी उद्गम का पुनर्जीवन
- तरल व ठोस कचरा प्रबंधन
- नदी धारा की सफाई
- जन–जागरूकता
- सघन वनीकरण
- प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन
- रसायनमुक्त कृषि
- छोटे बांधों का निर्माण

निर्मल हिंडन
हिण्डन सेवा

नदी का सम्पूर्ण ज्ञान

काम से पहले नदी का ज्ञान।
तब ही बनेंगे नदी के काम।

हमें जिस नदी के सुधार अथवा पुनर्जीवन का कार्य प्रारम्भ करना है, सबसे पहले उस नदी की निम्नलिखित जानकारियां होनी आवश्यक हैं।

⇒ नदी का इतिहास (जनश्रुतियां व वैज्ञानिक पक्ष)
⇒ नदी का सामाजिक व धार्मिक महत्व
⇒ नदी से संबंधित सभी दस्तावेज (सरकारी/गैर–सरकारी)
⇒ नदी उद्‌गम का ज्ञान
⇒ नदी की लम्बाई व बहाव क्षेत्र की जानकारी
⇒ नदी में पानी की स्तिथि
⇒ नदी की वर्तमान समस्या

इसमें भी सर्वप्रथम नदी उद्‌गम को सही तरीके से जानना आवश्यक है। प्रत्येक बरसाती नदी के बहने का माध्यम भूजल व सतही जल दोनों के मिलने का परिणाम होता है। सतही जल उस स्थान पर भूजल के साथ मिलता रहा है जहां भूजल का स्तर सर्वाधिक (चौया आना अर्थात जमीन की सतह पर पानी के बुलबुले बनना) होता है। अर्थात यह क्षेत्र का सबसे अधिक निचला व जल भराव वाला स्थान होता है। जिन स्थानों पर सघन रूप में जल भराव की स्थिति पैदा होती रही है ऐसा स्थान ही बरसाती नदी के उद्‌गम स्थल के रूप में विकसित होता है। पिछले लगभग 4 से 5 दशक पूर्व तक बरसाती नदियों के उद्‌गम पानीदार व अतिक्रमणमुक्त रहे हैं। जैसे–जैसे भूजल का स्तर नीचे जाता रहा तो वहां स्थानीय निवासियों ने खाली भूमि जानकर अतिक्रमण कर लिया और यही कारण रहा कि धीरे–धीरे बरसाती नदियों के उद्‌गम स्थल कब्जायुक्त होते चले गए।

Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR

3 Jul •

काली नदी पुनर्जीवन के कार्य का पहला बदलाव दिखने लगा है। कार्य अनवरत जारी है। प्रस्तुत है पहले व आज की तस्वीर।

नदी भूमि का चिन्हांकन

नदी होगी जब कब्जामुक्त।
तब ही बहेगी पानीयुक्त।

अधिकतर बरसाती नदियों के किनारे की भूमि किसी न किसी प्रकार में कब्जायुक्त है। जहां से कोई भी बरसाती नदी प्रारम्भ होती है या तो वहां कोई तालाब, झील, सरोवर, खाली स्थान या फिर कृषि कार्य होता हुआ मिलेगा। नदी उद्गम से आगे नदी बहाव की कुल लम्बाई में भी नदी के दोनों किनारे अतिक्रमित ही मिलेंगे। कहीं किसानों ने अपने खेत नदी से मिलाकर बना लिए हैं तो कहीं किसी अन्य ने नदी भूमि को कब्जाया हुआ है। कहीं–कहीं तो जहां नदी के बहाव का क्षेत्रफल अधिक है वहां नदी के अन्दर भी किसान कृषि कार्य करने लगते हैं। ऐसे में जिस प्रकार से नदी उद्गम की भांति ही नदी बहाव क्षेत्र के दोनों ओर की भूमि को भी कब्जामुक्त कराना आवश्य है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर तथा नदी की उचित जानकारी देकर नदी उद्गम व नदी बहाव क्षेत्र की भूमि का चिन्हान्कन कराया जाना चाहिए। नदी की लम्बाई का कुल छेत्र किन–किन जनपदों से होकर बहता है? उसके अनुसार नदी बहाव के प्रत्येक जनपद में यह कार्य अलग–अलग जनपदों के प्रशासन के माध्यम से ही कराना होगा। नदी के दोनों किनारों पर नदी भूमि की मापतौल करके उसका चिन्हांकन किया जाना चाहिए। अगर संभव हो तो चिन्हित की गई नदी भूमि पर पिलर/खम्बे लगा देने चाहिएं।

The Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR shared the recent success of Raman Kant Tyagi, the **Hindon River Waterkeeper** (Uttar Pradesh, India) and prior **East Kali River Waterkeeper**, who restored the East Kali River from a swamp into a river.

नदी उद्गम का पुनर्जीवन

नदी उद्गम में जब पानी होगा।
तब ही नदी का बहाव बनेगा।

किसी भी नदी की जननी उसके उद्गम पर मौजूद पानी होता है, इसीलिए आवश्यक है कि नदी का उद्गम स्थल पानीदार हो। अतः आवश्यक है कि नदी उद्गम को पुनर्जीवित करने का प्रयास सबसे पहले किया जाना चाहिए। इस कार्य को निम्न प्रकार से कर सकते हैं।

⇒ राजस्व अभिलेखों, गजेटियर व अन्य संबंधित अभिलेख के अनुसार नदी के उद्गम स्थल का चिन्हांकन करना।

⇒ नदी उद्गम स्थल का निरीक्षण करना। नदी उद्गम स्थल की जितनी भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है क्या उतनी भूमि मौके पर मौजूद है? इसकी जानकारी हमें नहीं हो सकती है। इसके लिए संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी/तहसीलदार से नदी उद्गम स्थल की भूमि की पैमाइस करानी होगी। इस कार्य हेतु संबंधित क्षेत्र के उच्च अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों व जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जा सकता है। अगर नदी उद्गम स्थल की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है तो यह भी तहसील की टीम के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा।

⇒ नदी उद्गम भूमि पर यदि अतिक्रमण है तो पहला कार्य उस अतिक्रमित भूमि को कब्जामुक्त कराना होगा।

⇒ नदी उद्गम स्थल पर कहीं से भी किसी भी प्रकार का घरेलू बहिस्राव या फिर उधोगों का गैर–शोधित तरल कचरा तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो सर्वप्रथम स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग की मदद लेकर इस प्रदूषण पर रोक लगानी होगी अथवा उसका उचित समाधान करना होगा।

⇒ नदी उद्गम स्थल पर यदि न तो किसी प्रकार का अतिक्रमण है और न ही किसी प्रकार का प्रदूषण वहां आ रहा है तो ऐसे में कार्य तुरंत प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

⇒ मान लिया जाए कि अगर नदी उद्गम स्थल की 10 हेक्टेयर भूमि है तो चारों ओर दस मीटर की पटरी छोड़ते हुए वहां करीब 8 से 10 मीटर गहराई की झील का निर्माण करना चाहिए। झील में बरसात का पानी चारों ओर से आ सके इसके लिए पटरी के नीचे से पानी आने के रास्ते बनाना आवश्यक है। नदी उद्गम की भूमि पर ही तय होगा कि वहा किस प्रकार की झील, तालाब व बांध बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हम स्थानीय लघु सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग अथवा किसी विषय विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं।

किसी भी बरसाती नदी का उद्गम स्थल ऐसा होना चाहिए कि वहां बरसात के अधिक से अधिक पानी को एकत्र किया जा सके। अगर किसी नहर अथवा रजवाहे का अतिरिक्त पानी वहां लाना संभव हो तो ऐसा भी किया जा सकता है। नदी का उद्गम स्थल वर्षभर पानी से भरा रहे उसके लिए प्रत्येक समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। उद्गम स्थल के चारों ओर स्थानीय वन विभाग अथवा किसी विषय विशेषज्ञ की सलाह से सघन पौधारोपण भी करना होगा। जब धीरे–धीरे नदी उद्गम स्थल पानी से भरा रहने लगेगा तो वहां का भूजल स्तर धीरे–धीरे ऊपर उठने लगेगा। जिस दिन भूजल का स्तर सतह के पास आ जाएगा उस दिन पानी उद्गम स्थल से आगे स्वयः बहने लगेगा। इस पानी का बहना ही हमारी नदी का अपने रास्ते पर पुनः चलने का पहला कदम होगा।

The Return of Kali

तरल व ठोस कचरा प्रबंधन

जब नदी में न जाएगा कचरा-बहिस्राव।
तब निर्मल बनेगा नदी बहाव।

इस कार्य में किसी भी सामाजिक संगठन या नदी के लिए कार्य करने वाले अन्य समूहों का कार्य सीमित होता है, क्योंकि घरेलु व उधोगों के बहिस्राव को रोकना एक जटिल प्रक्रिया है जिसको कि सरकार ही कर सकती है। इस कार्य में जहां बहुत अधिक नियम–कायदे इस्तेमाल होते हैं वहीं इसका आर्थिक बोझ भी अधिक होता है। ऐसे में सामाजिक संगठन या समूह जिन गांवों के गंदे पानी का बहाव नदी में जाता है उसे रोकने के लिए प्राकृतिक जल शोधन पद्धतियों को इस्तेमाल करने में गांव की मदद कर सकते हैं।
हालांकि इस कार्य में गांवों की कम जबकि कस्बों व शहरों की भागीदारी अधिक होगी, ले. किन इसके लिए जागरूकता का कार्य गांवों में भी किया जाना चाहिए। जहां शहरों व कस्बों से निकलने वाले तरल व ठोस कचरे का प्रबंधन करना होगा वहीं नदी में किसी भी माध्यम से अपना तरल व ठोस कचरा उड़ेलने वाले उधोगों पर लगाम कसनी होगी। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। प्रत्येक उधोग में ई0टी0पी0 लगा हो तथा वह सही तरीके से संचालित हो, यह सुनिश्चत करना होगा। प्रत्येक शहर व कस्बे में तरल कचरे के लिए एस0टी0पी0 व ठोस कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। नदी का प्रवाह अविरल व निर्मल बने इसके लिए उसके बहाव के रास्ते का साफ होना भी आवश्यक है। नदी की धारा अथवा प्रवाह के रास्ते की गंदगी को एक बार पूर्णतः साफ करना बहुत आवश्यक है।

नदी धारा की सफाई

नदी मार्ग जब साफ होगा।
तब ही निर्मल नीर बहेगा।

किसी भी नदी के बहाव को बनाने के लिए उसके बहाव क्षेत्र के मुख्य मार्ग की सफाई अनवार्य होती है। अक्सर देखा जाता है कि छोटी नदियों के बहाव क्षेत्र गंदगी से अटे रहते हैं या फिर उन पर अवैध अतिक्रमण कर लिया जाता है। ऐसे में हमें नदी बहाव के क्षेत्र को दोनों किनारों व तली से भी साफ करना चाहिए। नदी बहाव का जितना क्षेत्र जिस गांव/कस्बे/शहर की सीमा में आता है उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी उसी की तय करके इस कार्य को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नदी से निकलने वाली गंदगी को नदी के किनारों पर नहीं डालना है बल्कि नदी से इतनी दूर डालना चाहिए जिससे कि वह किसी भी माध्यम से पुनः नदी में न आने पाए।

Namami Gange

28 Jul •

आज काली नदी में बरसात का आया भरपूर पानी। ग़ौरतलब है कि जिला प्रशासन, मेरठ के सहयोग से काली नदी के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। नदीपुत्र रमन त्याग... See more

Manoj TyAgi and 91 others 1 Comment

Like Comment Share

जन–जागरूकता

गांव-गांव जब हाथ बढ़ेंगे।
नदी सुधार के काम बनेंगे।

नदी के दोनों किनारों से एक किलोमीटर की दूरी के गांवों, कस्बों व शहरों में नदी के प्रति जन–जागरूकता के कार्य को बढ़ावा दिया जाना होगा। इसमें जहां नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, स्कूलों में प्रतियोगिताएं, एक गांव से दूसरे गांव यात्राएं, नुक्कड़ सभाएं व जन–जागरूकता गौष्ठियां प्रमुखता से किए जाने चाहिएं। एक आम नागरिक अपनी नदी पुनर्जीवन के लिए जो भी कार्य कर सकता है, उन सब कार्यों की जानकारी जन–जागरूकता के माध्यम से गांव/कस्बे/शहर तक पहुंचानी होगी। जन–जागरूकता का ऐसा कार्यक्रम संचालित करना होगा जिससे कि सभी नदी किनारे के वासी नदी के प्रति अपना फर्ज निभाने को राजी हो जाएं। गांववासियों के बीच उन सभी विषयों की जन–जागरूकता करनी होगी जो भी नदी पुनर्जीवन के लिए आवश्यक हैं। जिसमें कि रयासनमुक्त कृषि, पौधारोपण, तालाब संरक्षण, पानी का संतुलित इस्तेमाल, कचरा निस्तारण व साफ–सफाई प्रमुख विषय हैं।

सघन वनीकरण

नदी किनारा रहे न खाली।
पेड़ करें उसकी रखवाली।

नदी के दोनों किनारों से एक किलोमीटर के दायरे में नदी व चारागाह आदि की भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इसमें नदी किनारों पर ऐसे पौधे रोपित किए जाने चाहिएं जोकि पानी को अपनी जड़ों में एकत्र करें तथा कटान को भी रोकें। एक किलोमीटर के इस दायरे में आने वाले गांवों में किसानों को बाग लगाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जानी चाहिएं, जिससे कि अधिक से अधिक किसान अपनी कृषि भूमि पर बाग लगा सकें। ऐसा करने से जहां कुछ वर्षों में अधिक वर्षा होने लगेगी वहीं भूजल स्तर भी ऊपर उठेगा जोकि नदी को निर्मल व अविरल बहने में मदद करेगा। सघन वनीकरण के कार्य में स्थानीय वन विभाग, स्थानीय समाज तथा सामाजिक संगठनों का भरपूर सहयोग लेना चाहिए।

Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR
16 Sep

On his celebrated show 'Rag Rag Mein Ganga',

पूर्वी काली नदी पुनर्जीवन

Namami Gange is with **Nawazuddin Siddiqui**.
5 Jul

काली नदी पूर्वी के पुनर्जीवन के कार्य में सहयोग के लिए आज फिल्मी कलाकार Nawazuddin Siddiqui पहुंचे। उन्होंने नदी किनारे पौधारो... See more

Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR
16 Sep

On his celebrated show 'Rag Rag Mein Ganga', popular host Shri Rajeev Khandelwal tells the revival story of Kali River that has... See more

See translation

Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR
5 Jul

प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन

कस्ला–गैंती आओ उठाएं।
अपना तालाब स्वच्छ बनाएं।

नदी के दोनों किनारों से एक किलोमीटर की दूरी तक के गांवों में तालाब जब साफ–स्वच्छ व पानी से भरे होंगे तो जहां गांव का भूजल स्तर ऊपर उठेगा वहीं जब भूजल में मौजूद प्रदूषण की मात्रा धीरे–धीरे कम होती जाएगी। भूजल स्तर ऊपर आने से नदी को बहने में आसानी होगी, क्योंकि नदी भूजल व सहती जल दोनों से मिलकर बहती है। नदी के दोनों किनारों से एक किलोमीटर की दूरी के दायरे के सभी गांवों के तालाबों का राजस्व रिकार्ड के आधार पर चिन्हांकन करके उनको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। अगर नदी किनारे कोई झील अथवा सरोवर आदि है तो उसको भी पुनर्जीवित करना आवश्यक है। नदी किनारे कोई ऐसी सरकारी भूमि पड़ी हो जहां पर तालाब का निर्माण किया जा सके तो ऐसा भी स्थानीय प्रशासन के सहयोग से करना चाहिए।

रसायनमुक्त कृषि

फसल होगी जब रसायनमुक्त।
नदी बहेगी तब गुणयुक्त।

नदी के दोनों किनारों से एक किलोमीटर की दूरी तक की कृषि को रसायनमुक्त करना होगा। किसी भी फसल में किसी भी प्रकार के रसायन व कीटनाशकों को इस्तेमाल बंद करके वहां प्राकृतिक तरीकों से कृषि का कार्य करना होगा। इससे जहां फसल उत्पाद शुद्ध व पौष्टिक होंगे वहीं कृषि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा। हरित क्रांति के बाद से लगातार उपयोग हो रहे रसायनों के कारण उनके कण धीरे–धीरे रिसते हुए भूजल तक जा पहुंचे हैं। रसायनमुक्त कृषि से भूजल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा तथा जो रसायनों व कीटनाशकों के तत्व सिंचाई के पानी या वर्षाजल के साथ बहकर नदी में चले जाते थे, उनकी भी रोकथाम होगी। इस कार्य में संबंधित जनपद की कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।

Namami Gange

3 Aug •

Due to the effort and dedication put in by the NEER foundation in rejuvenating the #KaliRiver, the change is now visible in the... See more

See translation

छोटे बांधों का निर्माण

जब बांध बनेगा धारा पर।
तब ही भरेगा नदी का घट।

जब नदी में तरल व ठोस कचरे का निस्तारण पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाता है तो उसमें परिस्थिति अनुसार निश्चित दूरी पर छोटे–छोटे बांधों का निर्माण करना चाहिए। जहां नदी में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है वहां निश्चित ही छोटे बांध बनाए जाने चाहिएं। इन बांधों के माध्यम से जहां हम नदी की सतह पर पानी बनाए रखेंगे वहीं उसको भूजल में भेजने में भी कामयाब होंगे। इससे स्थानीय निवासियों, पक्षियों व जानवरों आदि को भी पानी उपलब्ध होगा। नदी पर बांध बनाने का कार्य बांधों के प्रकार व दूरी स्थानीय लघु सिंचाई विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, सिंचाई विभाग या विषय विशेषज्ञ से तकनीकि सहयोग पाकर ही करने चाहिएं।

कार्य करने की रणनीति

रमन नदी पुनर्जीवन मॉडल को लागू करने के लिए मेरी नदी–मेरी पहल कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है, क्योंकि 10 मूल मंत्र वाले कार्य इसके माध्यम से व्यवस्थापूर्वक पूर्ण किए जा सकते हैं।

मेरी नदी – मेरी पहल

मेरी नदी–मेरी पहल को नदी सुधार के लिए एक सामाजिक पहल के रूप में प्रारम्भ किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य सरकारों के सकारात्मक प्रयासों के साथ नदी किनारे के समाज को जोड़ना व उसमें सहयोग करना है। इस कार्यक्रम के तहत किये जाने वाले सभी कार्य समाज व स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ही किए जा सकते हैं। यह एक ऐसी सामाजिक पहल है जिसमें कि कोई भी आमजन अपनी नदी के संरक्षण में किसी भी प्रकार से अपना योगदान दे सकता है। इस पहल के तहत नदी किनारे बसा समाज व नदी से किसी भी रूप में प्रभावित समाज अपने दायित्व को समझते हुए अपने स्तर से योगदान दे सकता है।

मेरी नदी – मेरी पहल का प्रारूप

मेरी नदी–मेरी पहल नदी में एक केंद्रीय कमेटी का गठन किया जाता है। नदी बहाव क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में एक जनपदीय कमेटी का गठन किया जाता है। नदियों के एक–एक किलोमीटर दूर तक दोनों किनारों के प्रत्येक गांव/कस्बा/शहर में एक गांव कमेटी बनाई जाती है। केंद्रीय, जनपदीय व गांव/कस्बा/शहर, प्रत्येक में पांच–पांच सदस्य होते हैं। केंद्रीय स्तर पर दो सदस्यों की एक मीडिया कमेटी का गठन किया जाता है। जनपदीय व मीडिया कमेटी का चयन केंद्रीय कमेटी द्वारा किया जाएगा तथा गांव/कस्बा/शहर कमेटियों का चयन केंद्रीय व संबंधित गांव के जनपद की जनपदीय कमेटी की सहमति से किया जाएगा। सभी कमेटियों के सभी सदस्य सामाजिक भावना रखने वाले, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले, विषय–विशेषज्ञ व सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे जोकि अवैतनिक होंगे। इन कमेटियों के आधार पर ही नदी की एक परिषद् का गठन किया जाता है। इस नदी परिषद् के माध्यम से नदी सुधार के अधिकर कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं।

हिण्डन नदी उद्‍गम खोज

मेरी नदी – मेरी पहल के स्वयंसेवक

इस कार्यक्रम के तहत नदी के किनारे के गांवों में मेरी नदी–मेरी पहल के स्वयं सेवक नियुक्त किए जाते हैं। स्वयं–सेवक कोई भी वह आमजन बन सकता है जो यह मानता हो कि वह अपनी नदी के लिए कुछ सहयोग करना चाहता है। ये स्वयं सेवक कहीं से भी और किसी भी प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। कोई भी स्वयं–सेवक नदी के संरक्षण में योगदान हेतु अपनी योजना मेरी नदी–मेरी पहल की केंद्रीय समिति के सामने प्रस्तुत कर सकता है। ये स्वयं सेवक ही नदी के वास्विक रक्षक होंगे। ये स्वयं सेवक नदी संरक्षण के प्रत्येक कार्य में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। समय–समय पर सुविधानुसार स्वयं सेवक सम्मेलन आयाजित किए जा सकते हैं जबकि एक वार्षिक सम्मेलन अनिवार्य है। स्वयं सेवकों द्वारा गांव/कस्बा/शहर, जनपद व केंद्रीय समिति के सहयोग से रमन नदी पुनर्जीवन मॉडल के सभी कार्य किए जाएंगे। कुछ कार्य निम्नलिखित हैं।

नोट : यह देखा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने स्तर से नदी, पानी, गांव, खेती, स्वास्थ्य व पशुओं आदि के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की हुई हैं। सभी समस्याओं से संबंधित विभाग जनपद, तहसील व ब्लॉक स्तर पर मौजूद हैं लेकिन फिर भी नदियों का ढ़ांचा छिन्न–भिन्न हो रहा है। इसके पीछे चार मुख्य कारण निम्न हैं।

* योजनाओं का जमीनी स्तर पर सही से लागू न हो पाना।
* स्थानीय लोगों को योजनाओं की जानकारी न होना।
* सरकारी विभागों द्वारा अपने कार्य को ठीक प्रकार से न करना।
* व्याप्त भ्रष्टाचार।

किसी भी नदी के पुनर्जीवन का कार्य करने के लिए स्वयं–सेवकों को बस करना यही है कि जो भी सरकारी योजनाएं गांवों में संचालित हैं, उनकी सम्पूर्ण जानकारी करके उनमें से नदी के दस मूल मंत्रों से संबंधित योजनाओं को धरातल पर लागू करा दिया जाए। ऐसा करने से ही हम अपनी नदी का भला कर लेंगे।

नीम नदी पुनर्जीवन, बुलंदशहर

मेरी नदी – मेरी पहल के प्रचार माध्यम

इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों की सहायता ली जा सकती है। इसमें फेसबुक, टवीटर, मोबाइल एप, पोर्टल, वेबसाइट, लोगो, मुखपत्र (हिन्दी–अंग्रेजी–स्थानीय भाषा), पम्पलेट, पर्चे, स्टीकर, बैनर, दीवार लेखन व डाक्यूमेंट्री फिल्म आदि।

नोट

जिस नदी पर उपरोक्त 10 मूल तत्वों के यदि 80 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण कर लिए जाते हैं तो वह नदी 5 से 10 वर्षों में अपने अस्तित्व में पुनः लौट आएगी। सभी 10 तत्वों को लागू करने हेतु नदी विशेष के लिए एक विस्तृत रूप रेखा तैयार करना आवश्यक है।

HINDON RIVER WATERKEEPER®

EAST KALI RIVER WATERKEEPER®

NEER FOUNDATION

WATERKEEPER® ALLIANCE MEMBER

नीम नदी

6 CLEAN WATER AND SANITATION

13 CLIMATE ACTION

14 LIFE BELOW WATER